

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक...733.../स्था0सैट /2023

जबलपुर, दिनांक...28.03.2023

श्री हेमंत शर्मा, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर, दिनांक 31.05.2023 को सेवानिवृत्त होंगे, फलतः उन्हें दिनांक 31.03.2023 से 30.05.2023 तक कुल 61 दिवस का सेवानिवृत्त पूर्व अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय,  
के आदेशानुसार

*Sd/-*  
(रामकुमार चौबे)  
रजिस्ट्रार जनरल

पू0क्रमांक...734.../स्था0सैट /2023

जबलपुर, दिनांक 28.03.2023

प्रतिलिपि:-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर को उनके पत्र क्रमांक अव0/557, इंदौर दिनांक 21.02.2023 के संबंध में।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय म0प्र0 मुख्यपीठ जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर,
4. आहरण एवं संवितरण अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ इंदौर,
5. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), मुख्यपीठ जबलपुर/खंडपीठ इंदौर,
6. स्थापना/लेखा शाखा, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट), मुख्यपीठ जबलपुर/खंडपीठ इंदौर,
7. श्री हेमंत शर्मा, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश (सैट) खण्डपीठ इंदौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

*(विकास चंद्र मिश्रा)*  
27/3/23  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)